

आदेश


मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० लखनऊ के आदेश संख्या: डीजी-चार-स्था०-(६७)-२०१७/९७ दिनांक: १४.०४.२०१७ द्वारा आरक्षी ना०पु० (वर्तमान में मुख्य आरक्षी) ०६२१००४५२ राजकिशोर को निलम्बन अवधि में जनपद बौदा से जनपद श्रावस्ती की गयी सम्बद्धता कर्मी के निलम्बन से बहाल हो जाने एवं कर्मी के विरुद्ध थाना कोतवाली देहात, जनपद बौदा में पंजीकृत मु०अ०सं०- २३/२०१७, धारा ३८७, ३२३, ३२५ भा०द०वि० में मा०न्यायालय द्वारा दोषमुक्त कर दिये जाने के फलस्वरूप उक्त सम्बद्धता आदेश को तात्कालिक प्रभाव से निरस्त किया जाता है।

यह आदेश पुलिस स्थापना बोर्ड के कार्यवृत्त सूची संख्या: एएसपी-(ई-१)-(जनहित)- ६७३/२०२४ दिनांक: १६-१०-२०२४ में लिये गये निर्णय के अनुसार जारी किया जा रहा है।

DGP HQRS UP LKW



DG-IV-STHA(673)/2024/2076 DATE 16-10-2024


(राहुल मिश्रा)

अपर पुलिस अधीक्षक, स्थापना
निमित्त अपर पुलिस महानिदेशक, स्थापना
उ०प्र० लखनऊ।

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ

संख्या:-डीजी-चार-स्था०-(६७३)-२०२४/२०७६

दिनांक: अक्टूबर १६, २०२४

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- १- पुलिस अधीक्षक, जनपद-श्रावस्ती को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि उक्त कर्मी को कार्यमुक्त करते हुये प्रस्थान कराये जाने की तिथि से सर्वसम्बन्धित सहित इस मुख्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें। यदि कोई प्रशासनिक/नीतिगत बाधा हो तो तत्काल इस मुख्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें।
- २- पुलिस अधीक्षक, जनपद बौदा को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि उक्त कर्मी के आगमन की सूचना से सर्वसम्बन्धित सहित इस मुख्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें। यदि कोई प्रशासनिक/नीतिगत बाधा हो तो संबंधित कर्मी को आगमन न कराते हुए तत्काल इस मुख्यालय को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनांक वही

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित:-

१. पुलिस महानिदेशक, उ०प्र०, लखनऊ।
२. अपर पुलिस महानिदेशक, स्थापना, उ०प्र०, लखनऊ।